(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोघपुर) (ceo_nnj@rediffmail.com_Tel: 0291-2651464)

कमांक:- 3113

दिनांक:- 19 10 82

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना DLB2223SLOB18852

U. B. No.....

नगर निगम जोधपुर दक्षिण के सम्पूर्ण क्षेत्र में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए नगर निगम के 2 ट्रोले चलाने हेतु 2 ट्रेक्टर मय चालक, रखरखाव, POL सहित दो वर्षों के लिए उपलब्ध करवाने हेतु अनुभवी एवं योग्य प्रतिय्रोगियों से अल्पकालीन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्त <u>www.eproc.rajasthan.gov.in</u>, <u>www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs</u> एवं <u>www.sppp.rajasthan.gov.in</u> से प्राप्त की जा सकती है।

> आयुर्क्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण दिनांकः–

कमांकः-

प्रतिलिपिः–

- 1. निजी सहायक, महापौर महोदया, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 2. अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- उपायुक्त (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- लेखाधिकारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- अधिशाषी अभियंता (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- सहायक अभियंता (यांत्रिक) नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा <u>www.eproc.rajasthan.gov.in</u> वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- 7. बिल लिपिक, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- प्रोग्रामर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा नगर निगम की वेबसाईट <u>www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs</u>, <u>www.sppp.rajasthan.gov.in</u> पर अपलोड करें।
- 9. राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा एक राज्य स्तर के समाचार पत्र में जिनकी प्रतिदिन प्रतियों की संख्या 50 हजार या इससे अधिक हा एवं एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने की व्यवस्था करावें।
- 10. नोटिस बोर्ड, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 11. गार्ड फाईल, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।

्र) आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर) (ceo_nnj@rediffmail.com_Tel: 0291-2651464)

दिनांक:- 19/10/28

कमांकः- 3113

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से निविदा शर्तों के अनुसार अनुभवी एवं योग्य फर्मो/संवेदकों से निर्धारित प्रपन्न में ई—प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया से निम्न कार्य हेतु ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

विवरण	दिनांक	समय
ऑन लाईन निविदा फार्म अपलोड करने की दिनांक द समय	20/10/2022	5.00 pm.
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराना प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	21/10/2022	11.00 Am.
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय / निविदा शुल्क/घरोहर राशि/ई-टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क के डी.डी/बैंकर्स	03/11/2022	3.00 fm.
यैक की मूल प्रति अधिशाधी अभियन्ता गैरेज रूम न : 111 नगर निगम कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	03/11/2022	3.30 pm.
ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	03 11/2022	4.00 pm.

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रूपये में)	घरोहर राशि (रूपये में)	निविदा शुल्क (रूपये में)	प्रकिया शुल्क (रूपये में)	कार्य की अवधि
	नगर निगम जोधपुर दक्षिण के सम्पूर्ण क्षेत्र में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए नगर निगम के 2 ट्रोले चलाने हेतु 2 ट्रेक्टर मय चालक, रखरखाव, POL सहित दो वर्षों के लिए उपलब्ध करवाने हेतु कार्य।	25.00 लाख	25,000/-	500 /	500 /	दो वर्ष

निविदा की महत्वपूर्ण शर्ते निम्नानुसार है :--

- 1. निविदा की प्रकिया ऑन लाईन होगी। निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करानी होगी।
- 2. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवंश यदि निविदाएं नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
- 3. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि के डी. डी/बैंकर चैक की मूल प्रति नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है।

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क राशि	भुगतान का प्रकार	देय
		(रूपये में)		
1.	निविदा शुल्क	500 /	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट∕बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
2.	धरोहर राशि	25000 / -	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट⁄बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
3.	ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क	500 / -	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर चैक	MD RISL, JAIPUR

- 4. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 5. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना, सेवानिवृति के पश्चात 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति, निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवायें लेने से पहले नहीं ली है, तो अनुबन्ध रदद किया जा सकेगा।
- 6. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजोडेन्सी रोड, जोघपुर) (ceo_nnj@rediffmail.com_Tel: 0291-2651464)

क्रमांकः–

दिनांकः-

- कार्य का नाम :- नगर निगम जोधपुर दक्षिण में आवारा पशु पकडने हेतु नगर निगम के 2 ट्रोले चलाने के लिए 2 ट्रेक्टर मय वाहन चालक दो वर्षों के लिए किराये पर उपलब्ध करवाने हेतु निविदा
 - 1. <u>परिभाषा</u> :- नगर निगम जोधपुर दक्षिण के सम्पूर्ण क्षेत्र में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए नगर निगम के 2 ट्रोले चलाने हेतु 2 ट्रेक्टर दो वर्षों के लिए किराये पर लेने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। ट्रेक्टर की संख्या आवश्यकतानुसार बढाई / कम की जा सकती है।
 - 2. निविदा प्रस्तुत करना :--
 - 1 निविदा द्वि-स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार ऑनलाईन आमंत्रित की गयी है जिसमें प्रथम तकनिक बिड होगी जिसमें तकनिकी निविदा के साथ मांगे गये सभी दस्तावेज एवं निविदा के लिए निर्धारित तकनिकी मापदण्डों से सम्बंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय बिड वित्तीय बिड होगी जिसमें उपरोक्त कार्य करने हेतु कार्य की दर निर्धारित प्रारूप (BOQ) में ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड में निविदा के लिए निर्धारित मापदण्डों के परिपेक्ष्य में योग्य पाये जाने पर सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी।
 - 2. पत्राचार हेतु नगर निगम का पता :--

''आयुक्त'' नगर निगम जोधपुर दक्षिण पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर, गौरव पथ, जोधपुर। टेलिफोन नं. 02912651464, ceo_nnj@rediffmail.com संवेदक का पत्राचार हेतु पता (संवेदक अपना स्थाई पता, फैक्स, ई–मेल, फोन नम्बर अंकित करें):–

.....

3 संवेदक की पात्रता एवं तकनिकी निविदा के साथ में निविदादाता द्वारा निम्न दस्तावेज अपलोड किये जावेंगे :-

- 3.1 निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क हेतु डी. डी/बैंकर चैक की स्केन प्रति।
- 3.2 निविदादाता/फर्म का वस्तु एवं सेवाकर कार्यालय (GSTIN) में पंजीयन होना आवश्यक है। PAN Card एवं GSTIN पंजीयन प्रमाण पत्र की स्केन प्रति।
- 3.3 संवेदक / फर्म के स्वयं के नाम कम से कम एक ट्रेक्टर का पंजिकृत स्वामित्व तथा आवश्यकता होने पर मांग अनुसार अन्य ट्रेक्टर उपलब्ध करवाने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। संवेदक / फर्म के स्वयं के नाम पंजीकृत वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्केन प्रति तकनिकी निविदा के साथ अपलोड करनी होगी। सभी वाहन / मशीन 2015 मॉडल या उसके बाद के होने चाहिए। मशीन / वाहन इससे पूर्व के मॉडल स्वीकार योग्य नहीं है।

- 3.4 किसी भी तरह का Joint Venture या फर्म के एक से अधिक पार्टनर होने पर अनुबंध एवं निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर करने के लिये दी गई पॉवर ऑफ एटार्नी जमा करवाना होगा तथा
 - (क) संवेदकों एवं फर्मो /व्यक्तियों के पंजिकृत अनुबन्ध की सत्यापित फोटो प्रति प्रस्तुत करेगा। पंजीकरण निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक से पूर्व का होना चाहिये।
 - (ख) निविदा प्रपन्न पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकार पत्र, सभी पार्टनरस् का हस्ताक्षर किया हुआ, प्रस्तूत करेगा।
 - (ग) जोईन्ट वेन्चर के रुप में प्रत्येक पार्टनर संविदा कार्य को करने के लिए संयुक्त रुप से उत्तरदायी होंगे तथा प्रत्येक पार्टनर व्यक्तिगत रुप से भी कार्य के लिए विधिक रुप से उत्तरदायी होगें।
 - (घ) सफल संवेदक होने की स्थिति में अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने व अन्य कार्य करने के लिए अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - (ड) जोईन्ट वेन्चर के अनुबन्ध में मुख्य व्यक्तियों की जिम्मेदारियो, संसाधनों एवं कार्य के लिये वितीय स्थिति की पूर्ण जानकारी अंकित की जानी चाहिए।
- 3.5 निविदादाता फर्म्/ संवेदक किसी भी सरकारी कार्यालय/अर्द्वसरकारी कार्यालय/नगर निगम से ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिये तथा फर्म/ संवेदक का कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर दक्षिण में कार्यरत नहीं होना चाहिये। ब्लैक लिस्ट नहीं होने एवं कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर दक्षिण में कार्यरत नहीं होने से सम्बंधित शपथ पत्र रूपये 100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा जो कि निविदा खोलने के समय से पूर्व नगर निगम जोधपुर दक्षिण गैरेज प्रभारी कार्यालय रुम नम्बर 111 में प्रस्तुत करना होगा तथा इसकी स्केन प्रति तकनीकी निविदा के साथ ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।
- 3.6 निविदा प्रपन्न के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर व सील लगाकर निविदा प्रपन्न की स्केन प्रति।
- 3.7 संवेदक द्वारा परिशिष्ट 'ब' में अंडरटेकिंग की स्केन प्रति।
- 3.8 निविदादाता के द्वारा RTPP Act के सेक्सन 7 & 11 में घोषणा पत्र की स्केन प्रति।
- नोट :— उपरोक्त बिन्दु संख्या 3.1 से 3.8 तक निर्धारित मापदण्डों हेतू आवश्यक उल्लेखित दस्तावेज 'ई' निविदा में अनिर्वाय रूप से अपलोड करने होगें। इनके अभाव में निविदा दाता को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
- 4. सामान्य शर्ते :--
 - निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु डी.डी./बैंकर्स चैक की मूल प्रति नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय रुम नम्बर 111 में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है। बिना निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
 - 2. निविदा शुल्क व ई-प्रकिया शुल्क की राशि वापस नहीं दी जावेगी।
 - 3. निविदा प्रस्तुत करने के लिये सभी व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। उक्त व्यय के लिए नगर निगम उत्तरदायी नही है।
 - 4. निविदा दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व निविदादाता को कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल इत्यादि का निरीक्षण/जानकारी कर लेने की सलाह दी जाती है। इससे सबंधित समस्त व्यय निविदादाता को ही वहन करने होगें।
 - 5. निविदादाता कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल, निविदा दस्तावेज, विभिन्न नियम–शर्तो / निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वित्रीय प्रस्ताव में अपनी दरें प्रस्तुत करें। निविदादाता द्वारा वितीय बिड में प्रस्तुत दरें निविदा की सम्पूर्ण समयावधि के लिए स्थिर (फिक्स) रहेगी जो कि किसी भी स्थिति में परिवर्तनीय नही होगी। प्रस्तुत दरें सभी करो सहित होगी ।
 - निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् निविदादाता, निविदा में किसी प्रकार का संशोधन / निविदा को प्रत्याहत नहीं कर सकेगा।



- 7. निविदा एवं कार्य से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना, विभिन्न नियम/शर्तों, विवरण पर संशय होने पर निविदा प्रपत्र अपलोड करने से पूर्व नगर निगम जोधपुर दक्षिण कमरा न. 111 में कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- 8. वित्तीय प्रस्ताव में प्रस्तुत दरो में सभी टैक्स सम्मिलित होगें। भुगतान में से टी.डी.एस. व अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी तथा सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 9. दर अनुबंध की अवधि दो वर्षों की होगी। कार्य संतोषजनक होने पर संवेदक की सहमति से अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्य अवधि बढाये जाने हेतु स्वतंत्र है। कार्य संतोषजनक नहीं होने अथवा अन्य अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्य अवधि बढाये जाने हेतु स्वतंत्र है। कार्य संतोषजनक नहीं होने अथवा अन्य परिस्थितियाँ होमै पर किसी भी समय निगम निविदा निरस्त कर सकता है जिस पर कोई वाद मान्य नहीं होगा तथा न ही संवेदक को संविदा में बचे हुए समय के लिए कोई क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।
- 10. नियमित रूप से कार्य की समय पाबन्द व्यवस्था व त्वरित निर्देश प्रवाह हेतु निविदादाता/ संवेदक को निरन्तर संचालन स्थिति में टेलिफोन/मोबाईल टेलीफोन की व्यवस्था रखनी होगी जिसके अभाव में शर्तो का उल्लघन माना जावेगा। निविदादाता/ संवेदक को जोधपुर स्थित अपने कार्यालय/कार्यशाला का पूर्ण पता देना होगा।
- 11. नगर निगम के द्वारा कार्यादेश देने के पश्चात सफल संवेदक को निम्न औपचारिकताएँ 7 दिवस में पूर्ण करनी होगी :---
 - (क) नियमानुसार अनुबन्ध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना।
 - (ख) निविदा की राशि के 2.5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / शेड्यूल बैक की बैक गारण्टी / शेड्यूल बैक की एफ.डी.आर. "Commissioner Nagar Nigam Jodhpur South" के नाम जोधपुर में देय प्रस्तुत करने हेतु।
 - (ग) नगर निगम बैक गांरटी जारी करने वाले बैंक से बैक गारंटी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।
 - (घ) प्रतिभूति राशि जब्त करने की स्थिति में एफ.डी.आर. भी उक्त एफ.डी.आर. पर ब्याज सहित जब्त होगी।
 - (ड) प्रतिभूति राशि निविदा पूर्ण होने की दिनांक से 60 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है।
- 12. सफल निविदादाता को 15 दिवस में अनुबन्ध पत्र भरकर देना होगा तथा निविदा की राशि के 2.5 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि नगर निगम कोष में जमा करवानी होगी।
- 13. यदि सफल निविदादाता समयावधि में अनुबंध पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है तो नगर निगम जोधपुर दक्षिण इस निविदादाता की निविदा को निरस्त कर एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम निविदादाता (L2) को कार्यादेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।
- 14. कार्यादेश के 15 दिवस में निविदा शर्तों की पालना करते हुए कार्य हेतु संसाधनों को लगाते हुए कार्य का संचालन शुरू करना होगा जिनका परीक्षण गैरेज प्रभारी द्वारा किया जायेगा। सभी मशीन/वाहन शर्तों अनुसार होने पर ही स्वीकार किये जायेगें। वाहन निविदा शर्तो Technical Specification के अनुसार नहीं होने पर स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा निविदादाता को स्वयं के खर्चे पर 5 दिवस में उपरोक्त मशीन/वाहन बदल कर संचालन करना होगा।
- 15. सफल निविदादाता की निविदा के समय जमा करायी गयी धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज संदत नहीं किया जायेगा। निविदा पर अन्तिम निर्णय होने व कार्यादेश जारी करने के पश्चात् सफल निविदादाता के अलावा अन्य सभी निविदादाताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी जो कि नगर निगम के कक्ष 111 से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकेगी।
- 16. केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान सरकार के उपकम प्रतिभूति की राशि प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होंगें ।
- 17. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (Forfeiture):- प्रतिभूति की राशि का निम्नलिखित प्रकरणो में पूर्णतः या अंशतः समपहरण किया जा सकेगा-
 - (क) जब संविदा के किसी निबन्धन और शर्तों को भंग किया जाता है।

- (ख) जब निविदांदाता संतोषप्रद रुप से सेवा प्रदाय करने में विफल रहता है।
- (ग) जब निविदादाता कार्यादेश में दी गई समयावधि में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।
- (घ) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस सबंध में कय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- 18. निम्न स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी
 - (i) यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद से निविदा स्वीकार करने तक निविदा वापस ले लेता है या शर्तो में किसी तरह का संशोधन करता है।
 - (ii) जब निविदादाता कार्यालय आदेश जारी होने के पश्चात् दी गई समयावधि में अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।
 - (iii) यदि सफल निविदादाता कार्यादेश के अनुसार दी गई अवधि में निविदा में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।
 - (iv) जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
 - (v) यदि निविदादाता निविदा प्रपन्न में दी गई शर्तों का उल्लंघन करता है।
- 19. निविदादाता द्वारा, प्रस्तुत निविदा को निम्न स्थितियों में निरस्त माना जायेगा यदि–
 - (1) निविदा दस्तावेजों के प्रावधान के अनुसार योग्यता नही रखता हो।
 - (2) निविदा के साथ धरोहर राशि जमा नहीं की गई हो।
 - (3) जानबुझकर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो।
- 20. समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयावधि के पश्चात् निविदा प्रस्तुत करने के लिए नगर निगम जोधपुर दक्षिण उतरदायी नहीं होगा। निविदा दस्तावेज / शुद्विपत्र / संशोधन ई– प्रोक्योरमेंट/SPPP पॉर्टल से डाउनलोड नही होने पर नगर निगम उतरदायी नहीं है।
- 21. नगर निगम निविदा स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिये नगर निगम बाध्य नहीं है। कार्य आदेश देने के पूर्व तक नगर निगम सभी निविदाओं को निरस्त कर सकता है।
- 22. निविदा में एक फर्म एक ही नाम से भाग ले सकेगी। एक से अधिक नामों के लिए टेण्डर स्वीकार नही किया जावेगा।
- 23. सफल निविदादाता द्वारा दो वर्षों की कार्य अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं किसी भी तरह का नगर निगम में बक्राया नहीं होने के पश्चात् प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।
- 24. निविदादाता द्वारों कार्य ना करने पर रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य कराया जा सकेगा। अन्य फर्म से कार्य कराने पर अन्तर राशि संवेदक से वसूली जायेगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 25. निविदा संबंधित RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013, GF&AR तथा वित विभाग के सभी नियम यथा परिवर्तन लागू होगें।
- 26. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिए संवेदक / फर्म जिम्मेदार होगा।
- 27. किसी भी विवाद में आयुक्त / महापौर द्वारा निर्णय किया जायेगा।

5. वाहन व वाहन चालकों के सम्बंध में निविदादाता को निर्देश

- वाहन चालक अनुभवी एवं इस कार्य से सम्बन्धित श्रेणी का वाहन चलाने का वैध ड्राईविंग लाइसेंसधारी होना चााहिये।
- 2. वाहन को कोई अवकाश देय नहीं होगा। आवश्यक होने पर अवकाश के दिन भी वाहन को कार्य हेतू बुलाया जा सकता है जिसके लिए संवेदक मना नहीं कर सकेगा।
- 3. वाहन की दैनिक लोगबुक वाहन के साथ रखी जायेगी जिसमें वाहन को उपयोग में लेने वाले अधिकारी द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य का प्रमाणिकरण किया जायेगा।

- प्रत्येक वाहन चालक वर्दी धारण करेगा। संवेदक समस्त वाहन चालको को अपने स्तर पर वर्दी उपलब्ध करवायेगा।
- 5. ड्युटी पर तैनात कोई भी वाहन चालक किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशीला पदार्थ सेवन किया हुआ नहीं होना चाहिये तथा किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण नहीं करेगा। शारीरिक रूप से असक्षम एवं बाल श्रमिक कार्य पर नहीं लिया जावेगा। संवेदक द्वारा लगाये गये सभी वाहन चालक अनुशासित, समय पाबन्द, मृदुभाषी होगें। उनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण करने पर गैरेज प्रभारी के निर्देश पर उपर्युक्त चालक को बदलना होगा। इस शर्त की पालना नहीं करने पर शरेज का उल्लंघन माना जायेगा तथा रू 1000 / – प्रति वाहन चालक प्रति घटना की दण्ड (शास्ती) राशि काट ली /जायेगी। वाहन चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अधीन कोई मुकदमा लम्बित नहीं होना चाहिए एवं आमजन व निगम कर्मचारियों के साथ शालीनता से व्यवहार करें। संवेदक द्वारा उपलब्ध वाहन चालक का कार्य कुशल न होने पर निगम के निर्देशानुसार वाहन चालक को बदलना होगा।
- वाहनों के लिए ईधन (डिजल/ऑयल) एवं मरम्मत के कार्य की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
- 7. संवेदक द्वारा उपलब्ध वाहन चालक से दुर्घटना घटित होने पर समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर किसी भी तरह के चालान के लिये संवेदक/वाहन चालक जिम्मेदार होगा।
- 8. चालक वाहनों के संचालन हेतु दक्ष एवं प्रशिक्षित तथा उपयुक्त श्रेणी का वैध लाईसेन्सधारी होना आवश्यक है। किसी भी तरह की शासकीय या आर्थिक हानि के लिये निविदादाता जिम्मेदार होगा।
- 9. कार्य समय में कार्य स्थल पर जाते समय या कार्य करते समय किसी प्रकार की प्राकृतिक / अप्राकृतिक घटना / दुर्घटना से जनसाधारण या श्रमिकों के घायल होने / मृत्यृ होने आदि पर सभी प्रकार का उत्तरदायित्व (वितीय एवं विधिक) संवेदक का होगा। नगर निगम किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर विधिक या अन्य रूप से उत्तरदायी नही होगा।
- त्यौहार / उत्सव; विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर एवं विशेष परिस्थितियों में कभी भी वाहन को कार्य पर बुलाया जा सकेगा।
- 11. वाहन चालक को किसी भी प्रकार का टी.ए. या डी.ए. एवं अन्य भते निगम की ओर से देय नहीं होगें।
- 12. सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन, इन्शोरेन्स, मशीन/वाहन चालक का लाइसेन्स आदि के लिये निविदादाता जिम्मेदार होगा। वाहन चालक आदि का उपयुक्त बीमा/इन्श्योरेन्स कराने तथा श्रम नियमों एवं भविष्य निधि नियमों की पूर्ण पालना करने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। सफल निविदादाता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मशीन/वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन, मशीन/वाहन चालक का लाइसेन्स व मशीन/वाहन से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों की प्रतिया गैरेज प्रभारी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

13. मशीन/वाहन और मशीन/वाहन चालकों का विवरण:-

(अ) निम्न प्रपत्र में सूचना कार्यादेश जारी होने के बाद लेकिन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व गैरेज शाखा में गैरेज प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी।

क.स.	मशीन/वाहन नाम व पता	चालक	का	वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेन्स नम्बर	लाइसेन्स की वैद्यता दिनांक
1					
2					
3					

वाहनों की उपलब्धता सम्बन्धी विवरण निम्न प्रारूप में देना होगा।

(ब) उपलब्ध वाहनों का विवरणः-

क.स.	मशीन / वाह्रन	हॉर्स पावर	पंजीकृत वाहन का	वाहन मॉडल	वाहन मालिक
	मेक	(BHP)	रजिस्ट्रेशन नम्बर	वर्ष	का नाम

- 14. संवेदक द्वारा वाहन चालकों / कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण अपने स्तर पर उपलब्ध करवाये जावेगें तथा कार्य के दौरान हमेशा सुरक्षा उपकरण साथ रखने होंगें। कार्य हेतु एवं कार्य के दौरान वाहन चालकों की सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
- 15. सफल निविदादाता द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नगर निगम अधिकारियों को सभी वाहनों का भौतिक सत्यापन करवाना होगा। भौतिक सत्यापन कराये बगैर एवं बिना निरीक्षण वाहन कार्य पर लगाने पर किराया देय नहीं होगा।

6. तकनिकी विवरण :--

- अनुबन्धित वाहन 30 HP से अधिक क्षमता का होना आवश्यक है।
- उक्त समर्स्त वाहन तकनिकी रूप से अच्छी कण्डीशन/उपयोग अवस्था में होने चाहिए जिनका अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
- सभी वाहनों पर GPS लगा होना आवश्यक है।
- वाहनों के सभी स्पेयर पार्टस, उपसाधन, बैटरियॉ, डीजल, ऑयल, ल्युब्रिकेन्टस, पार्टस मरम्मत, चालक एवं वाहन पर अन्य समस्त व्यय निविदादाता को करने होगें।
- यातायात के समस्त नियमों की पालना संवेदक को करनी होगी।
- 6. उपलब्ध करवाये गये वाहन तकनिकी स्तर पर आधारभूत शर्तों से उच्चतर होने पर किसी तरह का अतिरिक्त महत्व नहीं दिया जायेगा तथा तकनिकी रूप से आधारभूत शर्तों अनुसार ही माना जायेगा।
- 7. नगर निगम के ट्रोले पर अगर चाहन चालक, पंचर निकलवाना, टायर टयुब बदलने का कार्य संवेदक का होंगा। टायर टयुब नगर निगम से उपलब्ध करवाये जायेगें।

7.कार्य विधि, कार्य प्रमाणन एवं भुगतानः-

- नगर निगम जोधपुर दक्षिण के सम्पूर्ण क्षेत्र में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए नगर निगम के ट्रोले चलाने हेतु आवश्यकतानुसार आवारा पशु प्रभारी को ट्रेक्टर उपलब्ध करवाने होगें। उक्त कार्य हेतु आवश्यकतार्मुसार किसी भी समय ट्रेक्टर मय चालक को कार्य के लिए बुलाया जा सकता है। साथ ही वाहनों का रात्रि एवं राजकीय अवकाश में भी उपयोग किया जा सकेगा।
- 2. कार्य का निर्धारण नगर निगम के अधिकृत अधिकारी करेगें उसी अनुसार कार्य करना होगा।
- वाहन पर नगर निगम जोधपुर दक्षिण से अनुबंधित की पट्टी/प्लेट लगानी होगी। प्लेट का दुरूपयोग होने पर 5000/- रूपये प्रतिवाहन प्रति घटना की शास्ती काटी जायेगी।
- 4. ट्रेक्टर मय काऊ केचर ट्रोले के कार्यस्थल पर पहुंचने के पश्चात् प्रतिदिन के कार्य का उपयोगकर्ता अधिकारी से लोगबुक में प्रमाणित करवाना होगा।
- 5. प्रत्येक माह का बिल लोग बुक में उपयोगकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षरमय सील प्रमाणीकरण उपरान्त GPS रिपोर्ट के साथ गैराज प्रभारी को आगामी 5 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा।
- 6. वाहन पर जी.पी.एस लगा होना आवश्यक है तथा बिलों का भुगतान GPS कमेटी द्वारा जॉच कर प्रस्तुत की गई GPS रिपोर्ट के आधार पर लोग बुक में उपयोगकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षरमय सील प्रमाणीकरण उपरान्त पर किया जायेगा।
- 7. GPS रिपोर्ट अनुसार ट्रेक्टर का एक दिन में 8 घण्टों का ही भुगतान किया जायेगा। आवश्यक होने पर वाहन आवारा पशु प्रभारी की मांग पर उनके द्वारा लोगबुक में हस्ताक्षर मय सील प्रमाणीकरण उपरान्त GPS जि्रपोर्ट के साथ मिलान करने के पश्चात एक दिन में ट्रेक्टर आठ घण्टे से अधिक

कार्य करेगा, उन अतिरिक्त घण्टो का अनुपातिक 12 घन्टे एवं 24 घन्टे की दर अनुसार भुगतान किया जायेगा।

- कार्य के दौरान वाहन खराब होने एवं रिपेयर में होने की स्थिति में भुगतान देय नहीं होगा।
- 9. संवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान (अगर लागु हो) की राशि सम्बंधित विभाग में जमा कराने का प्रमाण पत्र एवं बैंक चालान की प्रति प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा भुगतान नहीं किया जायेगा।

दुर्घटना

- 1. कार्य हेतु व/ कार्य के दौरान किसी भी तरह की जान माल की हानि, वाहन दुर्घटना या चोरी होने की स्थिति में किसी क्लेम या थर्ड पार्टी डेमेज नुकसान के लिये नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा तथा ना ही किसी प्रकार का भुगतान निगम द्वारा देय होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा।
- दुर्घटना या दोषपूर्ण संचालन आदि के कारण वाहन से सार्वजनिक स्थल / कार्य स्थल पर हुई टूट फूट के लिये निगम उत्तरदायी नहीं होगा तथा नुकसान की भरपाई संवेदक को करनी होगी। नगर निगम का ट्रोला क्षतिग्रस्त होने पर संवेदक के द्वारा रिपेयर करवाया जायेगा।
- दुघर्टना में वाहन के क्षतिग्रस्त होने, चोरी होने या अन्य किसी भी तरह का टूट-फूट होने पर संवेदक को दूसरा वाहन उपलब्ध करवाना होगा।
- 4. ट्रैक्टर चालक ट्रॉले के साथ 20 किमी. की गति की सीमा में रहेगा।

9.निगम शक्तियाँ एवं शास्तियाँ :--

- मांग अनुसार आदेशित संख्या से कम संख्या में ट्रेक्टर उपलब्ध करवाने पर प्रतिदिन प्रतिवाहन किराये की राशि की 100% राशि शास्ती के रूप में काटी जायेगी।
- संवेदक प्रत्येक माह के बिल आगामी माह की 15 तारीख तक भुगतान हेतु गैरेज प्रभारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। 15 तारीख तक बिल प्रस्तुत नहीं करने पर अगले माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत बिल राशी का 1% एवं उसके पश्चात् बिल प्रस्तुती पर प्रस्तुत बिल राशी का 2% काटा जायेगा।
- अगले महीने की लोग बुक इस माह की 25 से 30/31 तारीख तक गैरेज प्रभारी से हस्ताक्षर करवाकर जारी करवानी होगी।
- कार्य आरम्भ से समाप्ति अवधि के दौरान नगर निगम अधिकारी किसी भी समय वाहनों / मशीनों का निरीक्षण करने के लिये स्वतंत्र होगें।
- 5. आवश्यकता होने अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति से ट्रेक्टर मय काऊकेचर ट्रोले को नगर निगम क्षेत्र से बाहर भी भिजवाया जायेगा। पालना नहीं होने पर उस दिन का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा रूपये 1000/- प्रति ट्रेक्टर प्रतिदिन की शास्ती लगाई जायेगी। नगर निगम सीमा से बाहर भिजवाने पर अतिरिक्त किमी. का भुगतान संवेदक को किया जायेगा जो कि नगर निगम सीमा में प्रत्येक दिन चले वाहन के औसत के अन्तर के आधार पर होगा।
- निविदा संबंधित RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 की शर्ते यथा परिवर्तन लागू होगी।
- 7. आवश्यकता होने पर ट्रेक्टर की संख्या बढाई जा सकती है। ट्रेक्टरों की संख्या में/निगम क्षेत्र में बिना कारण बताये कमी करने का अधिकार नगर निगम को रहेगा।
- 8. किसी भी शर्त की पालना नहीं होने पर निविदा शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा।
- सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिए संवेदक / फर्म जिम्मेदार होगा।

10. किसी भी विवाद में आयुक्त ⁄ महापौर द्वारा निर्णय किया जायेगा।

10. निविदा प्रपत्र में ज़ंशोधन :--

1

1

- 1 नगर निगम निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकता है जो कि <u>www.eproc.rajasthan.gov.in</u> एवं www.sppp.rajsthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा।
- 2 संशोधन निविदा प्रपन्न का भाग माना जावेगा।

आर्युर्वेत नगर निगम जोधपुर दक्षिण

निविदा प्रपत्र पढ व समझ लिया है। इसकी पूर्ण पालना करने को सहमत है तथा अपनी सहमति में मैं / हम निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर व सील लगाकर प्रस्तुत कर रहे हैं तथा अपनी दर निविदा प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत कर रहे हैं।

> हस्ताक्षर निविदादाता नाम मय मोहर

वितीय प्रस्ताव

कार्य का नामः– नगर निगम जोधपुर दक्षिण के सम्पूर्ण क्षेत्र में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए नगर निगम के द्रोले चलाने हेतु आवश्यकता अनुसार संख्या में ट्रेक्टर मय चालक, रखरखाव, POL सहित दो वर्षों के लिए ट्रेक्टर उपलब्ध करवाने हेतु कार्य निविदा।

क.स.	कार्य का प्रकार	दर (सभी करों सहित)
1	नगर निगम जोधपुर दक्षिण के सम्पूर्ण क्षेत्र में आवारा पशुओं को पकड़ने तथा इनको नान्दडी गौशाला या नगर निगम द्वारा निर्देशित अन्य स्थान पर छोडने हेतु नगर निगम के ट्रोले चलाने के लिए आवश्यकता अनुसार संख्या में ट्रेक्टर मय चालक, रखरखाव, POL सहित दो वर्षो के लिए उपलब्ध करवाने का कार्य।	(1)रूपये प्रति ट्रेक्टर प्रतिदिन 8 घण्टे (2)रूपये प्रति ट्रेक्टर प्रतिदिन 12 घण्टे (3)रूपये प्रति ट्रेक्टर प्रतिदिन 24 घण्टे
	कुल योग (1+2+3)	

- उपरोक्त कार्य करने हेतू कार्य की दर ऑनलाईन ही अपलोड किये गये निर्धारित प्रारूप (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी।
- 2. न्यूनतम दरदाता का निर्धारण उपरोक्त सारणी में प्रस्तुत की गई सभी दरों के योग में न्यूनतम के आधार पर किया जायेगा।

निविदादाता हस्ताक्षर नाम मय मोहर

1

परिशिष्ट - 'ब'

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

—ः: <u>अण्डर—टेकिंग</u>ः—

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियां सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा धरोहर राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा धरोहर राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घ्रोषणा करते है कि मैनें/हमने कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते है कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नही होगा तथा अगर मैंने/हमनें (1) अपनी निविदा दर की वैद्यता 90 दिवस से कम समय के लिये प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नहीं की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं किया (4) निविदा प्रपन्न के व नगर निगम के आदेश/निर्देशों की पालना नहीं की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

इन वाहनों से सम्बन्धित सभी व्यय मैं / हमारे द्वारा वहन किये जायेगें।

1

मैं / हम यह भी घोषणा करते है कि स्वयं के नाम पंजीकृत ट्रेक्टर के अतिरिक्त ओर कार्य की आवश्यकता होने पर ट्रेक्टर की मांग होने पर अन्य व्यक्ति / फर्म से ट्रेक्टर किराये पर लेकर उपलब्ध करा देंगे।

मुझे / हमें यह ज्ञात है कि सिक्योरिटी डिपोजिट का कार्य समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तों, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं / हम बाध्य हैं तथा सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी धीषणा करते है कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश को निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नही किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देते हैं।

मैं / हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं / हमारी फर्म कही पर भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं।

मैं / हम यह भी घोषणा करते है कि मैं / हमारा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर में कार्यरत नहीं है।

दिनांक :

निविदादाता का नाम व हस्ताक्षर मय सील

1

Jodhpur Municipal Corporation

Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act

Declaration by the Bidder/ JV

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;

3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;

6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date:

Place:

Signature of Bidder Name:

Designation:

Address



1

1

/ राजस्थान राजपत्र

विशेषांक साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 22, बुधवार, शाके 1943-जनवरी 12, 2022 Pausa 22, Wednesday, Saka 1943- January 12, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

FINANCE (G&T) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, January 12, 2022

G.S.R.398 .-In exercise of the powers conferred by section 55 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 75.- In rule 75 of the said rules,-

- (i) in proviso to sub-rule (2), for the existing expression "31.12.2021", the expression "31.03.2023" shall be substituted; and
- (ii) in proviso to clause (f) of sub-rule (3), for the existing expression "31.12.2021", the expression "31.03.2023" shall be substituted.

[No. F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017]

By Order of the Governor,

Vimal Kumar Gupta, Joint Secretary to the Government.

1936

Government Central Press, Jaipur.



क्रमांक : एफ.2(1)वित्त / जीएण्डटी--एसपीएफसी / 2017 जयपुर, दिनांक : 23-12-2020

परिपत्र

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)वित्त / जीएण्डटी – एसपीएफसी / 2017 दिनांक 18.12.2020 द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 42(2) में संशोधन करते हुए आमंत्रित की जाने वाली आगामी बोलियों के संदर्भ में दिनांक 31.12.2021 तक बिड सिक्यूरिटी ,राशि प्राप्त नहीं करने एवं इसके स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

चूंकि उक्त नियमों में बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का नवीन प्रावधान किया गया है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं के उपयोगार्थ बिड सिक्यूरिटी के संबंध में लिए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) का मानक प्रारूप संलग्न प्रेषित है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 सपठित अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration) पर 50/– रूपये स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बिड सिक्यूरिटी के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) पर उक्तानुसार राजस्थान राज्य में स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज का भुगतान सुनिश्चित करावें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- सचिव, राज्यपाल / प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री / विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण ।
- उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
- 3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
- सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
- रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर / जयपुर ।
- 7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
- प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
- 9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
- 10. समस्त विभागाध्यक्ष / जिला कलक्टर / संभागीय आयुक्त।
- 11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
- 12. समस्त बित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
- 13. समस्त कोषाधिकारी ।
- 14. समस्त उपापन संस्थाएं।
- 15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपन्न को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
- 16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Form of Bid-Securing Declaration

Date :	
Bid No. :	
Alternative No.	:

To:

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

- (a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
- (b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
- (c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
- (d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
- (e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

- (i) we are not the successful Bidder;
- (ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
- (iii) thirty days after the expiration of our Bid.
- (iv) the cancellation of the procurement process; or
- (v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :-----

Name :----

In the capacity of :-----

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of Corporate Seal ------

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]